क्रमांक 964-2 जी एस0 -11-71/12773

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष. आयुक्त अम्बाला सभी उपायुक्त तथा सभी उप-मण्डल अधिकारी ।

2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, सभी जिला स्तर न्यायधीश, हरियाणा ।

दिनांक चण्डीगढ़ 29 मई, 1971

विषय:- विभागाध्यक्षों को प्रशासन तथा वित्त सम्बन्धि शक्तियों का प्रत्यायोजन।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर आपको सम्बोधित करते हुए लिखूं कि प्रशासकीय तथा वित्तीय शक्तियों का विभागाध्यक्षों को प्रत्यायोजन का प्रश्न सरकार के विचाराधीन रहा तथा इस पर अब यह निर्णय किया गया है कि निम्नलिखित और शक्तियां विभागाध्यक्षों को सौंप दी जाएं :-

(1) श्रेणी III के सभी पदों पर नियुक्ति का अधिकार चाहे वह पद तकनीकी अथवा अतकनीकी और चाहे उन पर नियुक्ति पदोन्नति द्वारा की गई हो अथवा अन्य किसी तरह ;

(2) विभागाध्यक्षों द्वारा नियुक्त किए गए श्रेणी III के सरकारी कर्मचारियों को हर प्रकार का दण्ड "मेजर या माइनर" देने का अधिकार उस अवस्था में जहां श्रेणी III के कर्मचारी सरकार द्वारा भर्ती किए गए हों, विभागाध्यक्षों को प्राधिकार उन्हें केवल माईनर दण्ड देने का होगा ;

(3) श्रेणी II के राजपत्रित पदों पर पदस्त अधिकारियों को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर स्थानातर करने का अधिकार, तथा

(4) श्रेणी II के अधिकारियों को माईनर (छोटे) दण्ड देने का अधिकार जहां तक मेजर दण्ड देने का प्रश्न है उसका अधिकार वर्तमान की तरह, सरकार में ही रहेगा ।

आप से निवेदन है कि उपरोक्त निर्णय पर ध्यान रखते हुए जहां कहीं वर्तमान नियमों में संशोधन वांछनीय हो किया जाए ताकि उपरोक्त निर्णय कार्यान्वित हो सके । यहां यह भी सूचित किया जाता है कि पंजाब पुनर्गठन एक्ट 1966 की धारा 82 (6) के अन्तर्गत भारत सरकार को इस विषय में मंजूरी ले ली गई है ।

2. विभागाध्यक्षों द्वारा उक्त प्रत्यायोजन हुई शक्तियों का प्रयोग करना तभी सम्भव होगा जब कि सम्बन्धित सेवा नियमों में विधि-अनुसार संशोधन कर लिया जायेगा ।

इस कार्य के लिये अवश्यक कार्यवाही जितनी शीघ्र हो सके की जाए ।

इस पत्र की पावती भेजने की भी कृपा करें ।

भवदीय,
हस्ता
(ल0म0 गोयल)
उप सचिव सचिवालय स्थापना
हरियाणा सरकार ।

पृ0 क्रमांक 964-2 जी0एस0 11-71/12774 दिनांक चण्डीगढ़ 29 मई, 1971

एक प्रति महालेखापाल हरियाणा को सूचनार्थ भेजी जाती है । वित्तायुक्त (राजस्व) हरियाणा सरकार, सभी प्रशासकीय/हरियाणा सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेत भेजी जाती है ।